छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा षोडश सत्र अंक-12

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023

(फाल्गुन 30, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 07, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 41 तारांकित एवं 64 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री मोहम्मद अकबर, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-2022, तथा

(2) श्री मोहम्मद अकबर, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2020-2021,

पटल पर रखा।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री चंदन कश्यप

(2) श्री चक्रधर सिंह सिदार

(3) श्रीमती छन्नी चंदू साहू

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

5. पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्वारा प्रदेश में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण फसलों की क्षति होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

इस संबंध में श्री सौरभ सिंह, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, रजनीश कुमार सिंह, धरमलाल कौशिक, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री केशव प्रसाद चन्द्रा ने भी विचार व्यक्त किये ।

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि प्रदेश में दिनांक 18 एवं 19 मार्च, 2023 को हुई बेमौसम बारिश, अंधड़ एवं ओलावृष्टि से प्रदेश के किसानों की फसलों, सब्जियों एवं फलों की खेती को भारी नुकसान होने को लेकर माननीय श्री नारायण चंदेल एवं अन्य सदस्यों के द्वारा मुझे स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है । यह प्रदेश के किसानों एवं जनहित से जुड़ा विषय है और मैं किसी न किसी रूप में सदन में इस विषय पर चर्चा कराऊंगा ।

चूंकि आज 6 माननीय मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा है, इसलिए प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने इस पर मंत्री से वक्तव्य की मांग की ।

6. वक्तव्य

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस संबंध में वक्तव्य दिया ।

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

7. पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन के भाग-5 एवं 6 में 02 पृष्ठ कोरे होने के साथ ही विभिन्न विभागों के प्रशासकीय प्रतिवेदनों में त्रुटियों की ओर आसंदी का ध्यानाकृष्ट करते हुए व्यवस्था दिए जाने की मांग की गई ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर स्थिति स्पष्ट की ।

माननीय उपाध्यक्ष ने कथन किया कि माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, वह वास्तव में गंभीर है, उसमें त्रुटि हुई है । मैं शासन से अपेक्षा करूंगा कि भविष्य में जो प्रकाशन होगा, उसमें सावधानी बरतेंगे ।

8. वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या 19, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 79, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 7, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 50,प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-19 पर सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री डमरूधर पुजारी, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्री रजनीश कुमार सिंह, **मांग संख्या-79** पर सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या-7** पर सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे, **मांग संख्या-50** पर सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.विनय जायसवाल, सर्वश्री सौरभ सिंह, धर्मजीत सिंह, अजय चन्द्राकर, शैलेष पाण्डेय, प्रमोद कुमार शर्मा, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, धरमलाल कौशिक, अरूण वोरा, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, श्री बृहस्पत सिंह, श्रीमती ममता चन्द्राकर,

श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित **मांग संख्या** 20, ग्रामोद्योग से संबंधित **मांग संख्या** 56, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-20 पर सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, **मांग संख्या**-56 पर सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने पुन: विभिन्न विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदनों में त्रुटियों की ओर आसंदी का ध्यानाकृष्ट किया ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रशासकीय प्रतिवेदनों में त्रुटि को स्वीकार किया ।

मानननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आप सब लोगों ने जो बातें कही हैं, उनको मैंने सुना है। मैंने माननीय मंत्री जी की भी बात सुनी है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया हे कि त्रुटि हुई है । मैं आने वाले समय में प्रशासकीय प्रतिवेदनों में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, इसकी सख्त हिदायत देता हूं ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

9. सदन को सूचना

मानननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 153 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार अनुदान की मांगों के लिए नियत अंतिम दिन 4.00 बजे विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाना है ।

चूंकि अभी अनुदान की मांगों पर चर्चा शेष है । अतः अनुदान की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने एवं मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने हेतु समय में वृद्धि की जाये । मैं समझता हूं । सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

10. वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री आशीष कुमार छाबड़ा, रजनीश कुमार सिंह, भुनेश्वर शोभाराम बघेल,

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चन्द्राकर, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री सौरभ सिंह, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, श्री प्रमोद कुमार शर्मा,

11. बहिष्कार

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री के विभाग की अनुदान मांगों पर उत्तर का विरोध करते हुए बहिष्कार किया गया ।

श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग से संबंधित **मांग संख्या** 47, उच्च शिक्षा से संबंधित **मांग संख्या** 44, विज्ञान और टेक्नलॉजी से संबंधित **मांग संख्या** 46, खेल और युवक कल्याण से संबंधित **मांग संख्या** 43, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-47 पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, **मांग संख्या-44** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, **मांग संख्या-46** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, **मांग संख्या-43** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, अजय चन्द्राकर, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री प्रमोद कुमार शर्मा,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

श्री शिवरतन शर्मा, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष,

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्रीमती अनिला भेंड़िया, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या** 55, समाज कल्याण से संबंधित **मांग संख्या** 34, प्रस्तुत की।

मांग संख्या-55 पर सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, **मांग संख्या**-34 पर सर्वश्री नारायण चंदेल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्य-सूची में सम्मिलित पद क्रम-4 के उप पद- 6 तक का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(5) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित **मांग संख्या** 29, परिवहन से संबंधित **मांग संख्या** 36, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या** 21, वन से संबंधित **मांग संख्या** 10, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-29 पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या**-36 पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या**-21 पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या**-10 पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल,

पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री दलेश्वर साहू,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृहस्पत सिंह,

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि माननीय कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुरोध पर उनके विभाग की अनुदान मांग के प्रारंभिक कथन को प्रस्तुत करने के लिए श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री को अनुमति प्रदान की है ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कथन किया कि हम आपकी व्यवस्था से सहमत है लेकिन यह पूर्व उदाहरण नहीं माना जाना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि यह पूर्व उदाहरण नहीं माना जाएगा । वैसे मैंने इसके पहले कह दिया है । आज विशेष परिस्थिति में, विशेष अनुरोध पर वन मंत्री जी को अनुमति प्रदान की है।

(6) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या** 11, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-11 पर श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

13. बहिर्गमन

श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा का अवसर नहीं दिए जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

14. वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा अनुदान मांगों पर जैसे ही उत्तर देना प्रारंभ किया, वैसे ही श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा माननीय मंत्री के द्वारा उत्तर दिए जाने का विरोध किया गया।)

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा माननीय मंत्री से प्रथमत: शराबबंदी की घोषणा किए जाने की मांग की गई ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।)

15. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया ।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि बुधवार दिनांक 22 मार्च, 2023 का दिन अनुदान की मांगों पर चर्चा हेतु निर्धारित था । चूंकि आज मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण हो रही है । अत: मैंने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय व्ययक से संबंधित विनियोग विधेयक को अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् आज ही पुन: स्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान की है ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2023 (क्रमांक 6 सन् 2023)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2023 (क्रमांक 6 सन् 2023) पुर: स्थापित किया ।

माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री अजय चन्द्राकर, श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने माननीय अध्यक्ष सहित पूरे सदन को सभी विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा कराये जाने हेतु धन्यवाद एवं बधाई दी ।

माननीय अध्यक्ष ने सभी लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए अपनी एवं सदन की ओर से सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद दिया एवं आभार व्यक्त किया ।

रात्रि 9.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 (चैत्र 1 शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा